

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-19.04.2023

सेवा में,

NARAYAN KUMAR,
KVPSDSS GIRLS SCHOOL,
SERAIKELLA, WARD - 7, NEAR SANJAY CHOWK

विषय :- मौजा-SERAIKELLA NAGAR PANCHAYAT, प्लाट नं0-1160,1161,1155-1159, खाता न0-524 SERAIKELLA, वार्ड नं0-Ward-7, थाना-258 SERAIKELLA, जिला-सरायकेला-खरसावों में निर्मित स्कूल भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित स्कूल भवनों के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, सरायकेला के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-129 दिनांक-02.04.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त स्कूल भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक G+1 स्कूल भवनों में कम से कम दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक G+1 स्कूल भवनों में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके मुख्य स्टेयरकेस लॉबी में 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
3. प्रत्येक G+1 स्कूल भवनों में 450ली0/मि0 क्षमता का एक-एक टेरस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
4. प्रत्येक सतही तल वाले स्कूल भवनों में विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
5. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
6. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
7. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के कम्प्यूटर रूम, लाईब्रेरी, ऑडिटोरियम अथवा लैब में 4.5 के0जी0 क्षमता का चार अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
8. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
9. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के परिसर में एक-एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
10. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
11. स्कूल भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. स्कूल भवनों के ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
13. भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
14. भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
15. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
 झारखण्ड, राँची।